उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 11-9-89 तथा 20-9-89 को हुई प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 11-9-89 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री शान गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
3-	श्री जागेन्द्र स्वरूप		सदस्य
4-	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह		सदस्य
5-	श्री रती राम भाटी		सदस्य
6-	श्री ओंकार सरन मेहरोत्रा		सदस्य
7-	श्री सतीश चन्द्र जायसवाल		सदस्य
8-	श्री दाऊ जी गुप्त		सदस्य
9-	श्री एस0के0सिन्हा	विशेष सचिव, वित्त उ0प्र0शासन के प्रतिनिधि	सदस्य
10-	श्री जे0पी0भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
11-	श्री आर0रमणी	महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य

दिनांक 20-9-89 को हुई अनुपूरक कार्य-सूची की परिषद बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री शान गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
3-	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह		सदस्य
4-	श्री रती राम भाटी		सदस्य
5-	श्री ओंकार शरण मेहरोत्रा		सदस्य
6-	श्री एस0के0सिन्हा	विशेष सचिव, वित्त के प्रतिनिधि।	सदस्य
7-	श्री एन0आर0वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि।	सदस्य

दिनांक 11-9-89 की बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 28-6-89 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पंचम/(1)/89	दिनांक 28-6-89 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2-	परिषद बैठक दिनांक की अनुपालन आख्या।	पंचम/(2)/89	दिनांक 28-6-89 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन से परिषद को अवगत करा दिया गया।

1	2	3	4
3-	हुडको पोषित-2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हुडको द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(3)/89	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
4-	हुडको पोषित-2 योजनाओं में स्वीकृत ऋण की सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में।	पंचम/(4)/89	-तदैव-
5-	इन्दिरानगर विस्तार योजना के सेक्टर-10 में 13 म0आ0व0 एवं 13 दुर्बल आय वर्ग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(5)/89	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
6-	योजना सं0-3, कानपुर में गई एक सीवर लाईन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(6)/89	-तदैव-
7-	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ में उच्च आय वर्ग भवनों एवं दुकानों के निर्माण हेतु प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(7)/89	-तदैव-
8-	लखनऊ में उच्च आय वर्ग मेरठ में उ0आ0व0, अल्प आय वर्ग भवनों तथा आगरा में दुकानों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(8)/89	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
9-	बगदगा कोठी मुरादाबाद से लगी राम गंगा नदी पर योजना की बाढ़ से सुरक्षा हेतु तीन स्थाई डेम्पनर्स बनाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(9)/89	-तदैव-
10-	मेरठ में दुकानें बाराबंकी में दुकानें एवं क्योस्क के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(10)/89	-तदैव-
11-	लखनऊ में म0आ0व0 एवं उ0आ0व0 मथुरा एवं पीलीभीत में म0आ0व0 चन्दौसी में अ0आ0व0 एवं वाराणसी में क्योस्क के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(11)/89	-तदैव-
12-	मुरादाबाद, बदायूं, चन्दौसी में म0आ0व0 काशीपुर एवं फतेहगढ़ में अ0आ0व0 भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(12)/89	-तदैव-
13-	इन्दिरानगर योजना लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित योजना-88 के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(13)/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
14-	लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित टाईप-2 गैराज एवं चौकीदार क्वार्टर, रुद्रपुर में उ0आ0व0 एवं गदरपुर में दुकानों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(14)/89	-तदैव-

1	2	3	4
[illegible]	परिषद की योजनाओं में भूमि अर्जन हेतु स्वीकृत ऋण की शर्तों के सम्बन्ध में।	पंचम/(15)/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
[illegible]	महादेव झारखण्डी योजना, गोरखपुर में निर्मित 64 दु0आ0व0 18/30 प्रकार भवनों की पुनरीक्षित प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(16)/89	-तदैव-
[illegible]	हडको से आपरेशन फाइनेन्स योजना के अन्तर्गत रु0 6.75 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(17)/89	-तदैव-
[illegible]	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष-88-89 के लिये अनुग्रह धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	पंचम/(18)/89	परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
[illegible]	परिषद के अभियन्ताओं के सेवा नियमों में संशोधन।	पंचम/(19)/89	वर्तमान में धारा-111-90- 7 साल की जगह पाँच साल कर दिया जाय। केवल मियाद 7 वर्ष के बजाय 5 वर्ष किया गया है लेकिन 1 जनवरी से अवधि लागू रहेगी।
	परिषद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध पारित शास्तियों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों की सुनवाई के प्रसंग में।	पंचम/(20)/89	समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में अनुमोदित किया गया।
	वसुन्धरा योजना सं0-3 गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को 50.00 एकड़ भूमि देने के सम्बन्ध में।	पंचम/(21)/89	प्राधिकरण को 50.00 एकड़ भूमि दिये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि जब तक परिषद की योजना हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पेय जल उपलब्ध नहीं करा दिया जाता तब तक 50.00 एकड़ भूमि का कब्जा न दिया जाये और भूमि की उपलब्धता के विषय में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं परिषद के सदस्य श्री रती राम मौर्य द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया।
	वित्तीय वर्ष-1989-90 के पुनरीक्षित आय-व्ययक पर टिप्पणी।	पंचम/(22)/89	परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष-1989-90 के पुनरीक्षित आय-व्ययक की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद के वित्तीय संसाधनों में और वृद्धि लाने के लिये सभी बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त अपनी संस्तुति देने के लिये निम्न सदस्यों की एक समिति गठित कर दी जाये:- 1- श्री हरभिन्दर राज सिंह, विशेष सचिव वित्त। 2- श्री नागेन्द्र स्वरूप, परिषद सदस्य। 3- श्री ओंकार शरण मेहरोत्रा, परिषद सदस्य।

1	2	3	4
			4- श्री पी0एन0उपाध्याय, मुख्य लेखाधिकारी। 5- श्री एस0के0शर्मा, अधि0अभि0-III 6- श्री एस0के0रघुवंशी, उप आवास आयुक्त। उपरोक्त समिति अपनी रिपोर्ट दो माह के अन्दर देने का प्रयास करेगी।
	परिषद् अभियन्ता सेवा की विनियमावली में निहित "नान पर्किंग सेवा" की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।	पंचम/§23§/89	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति/ जनजाति के जो अभियन्ता अन्य सभी अर्हतायें पूर्ण करते हों और उन्हें "नान पर्किंग" सेवा की अनिवार्यता के कारण उनकी प्रोन्नति में कठिनाईयां आ रही हों तो विशेष परिस्थितियों में केवल इस बार यह शिथिलताइस अनुबन्ध के साथ दे दी जाये कि इस प्रोन्नति के बाद होने वाली अगली प्रोन्नति से पूर्व वे दो साल की "नान पर्किंग" सेवा को पूर्ण करेंगे। अगली बार वे इस शिथिलता के पात्र नहीं होंगे।
	परिषद की विभिन्न योजनाओं में भूखण्डों पर निर्माण हेतु समय वृद्धि दिये जाने के फलस्वरूप देय अनिर्माण शुल्क सरकारी कर्मचारियों से न लिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/§27§/89	विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में लिये गये पूर्व निर्णयों को अवक्रमित करते हुये यह निर्णय लिया गया कि उक्त सुविधा अब किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों को न दी जाये क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आसानी से भवन बनाने हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है अतः शासन को भी उक्त सुविधा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में मामला सन्दर्भित कर दिया जाये।
	समितियों/ संस्थाओं को शैक्षिक सामाजिक तथा अस्पताल हेतु भूमि का आवंटन।	पंचम/§28§/89	प्रकरण को पुनः विचार हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये कि उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की विशिष्ट स्थिति परिस्थिति व गठन को ध्यान में रखते हुये परिषद इससे सहमत नहीं है और तदानुसार शासन इस पर पुनः विचार करे और परिषद को उक्त शासनादेश के अनुबन्धों से अवमुक्त करें।
	इन्दिरानगर योजना लखनऊ के निराला शिक्षा सदन के पक्ष में सेक्टर-3 में प्रतिष्ठित .60 एकड़ भूमि के स्थान पर सेक्टर-16 में लगभग 1000 वर्ग मीटर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/§29§/89	प्रकरण पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिस समिति द्वारा पहले इस प्रकरण पर निर्णय लिया गया था मामला इसी समिति को सन्दर्भित कर दिया जाये और समिति तदनुसार भूखण्ड परिवर्तन के विषय पर निर्णय लेकर आख्या दो माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

परिषद की दिनांक 20-9-89 की बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
24-	मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संयुक्त ज्येष्ठता सूची जारी करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(24)/89	विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
25-	परिषद में कार्यरत मस्टर रोल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति आधार (कम्पेन्सेटी ग्राउन्ड) पर रोजगार देने के सम्बन्ध में।	पंचम/(25)/89	इस प्रकरण में विचार विमर्श दौरान संयुक्त सचिव, आवास उ0प्र0शासन द्वारा अवगत कराया कि शासन स्तर पर इस प्रकरण में निर्णय विचाराधीन है। अतः शासन के निर्णय के उपरान्त पुनः परिषद को विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
26-	[illegible] इन्टर [illegible] सेन्टर को भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(26)/89	परिषद द्वारा इस पर विचार स्थगित कर दिया गया। अगली बैठक में विचार विमर्श करने के पूर्व परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उ0प्र0[illegible] से यह ज्ञात किया जाये कि उनके द्वारा परिषद से अनुमति लिये संस्था को ऋण आदि से स्वीकृत कर दिया गया।
30-	श्रीमती मालती सिंह एवं परिषद के मध्य माननीय न्यायालय में चल रहे विवाद के कारण हिमालय मार्ग के निर्माण के अवरोध के सम्बन्ध में।	पंचम/(30)/89	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विकास शुल्क एवं विधिक उत्तराधिकारों के प्रश्नों पर विस्तृत परीक्षण एवं विधिक मत के साथ प्रकरण को पुनः परिषद के विचारार्थ रखा जाये।
31-	आवास परिषद की गाजियाबाद योजना सं0-3 गाजियाबाद में समाविष्ट मोहननगर कर्मचारी सहकारी आवास समिति लि0-गाजियाबाद।	पंचम/(31)/89	विचार विमर्श के दौरान संयुक्त सचिव आवास विभाग द्वारा सूचित किया कि सहकारी आवास समितियों को भूमि/ भूखण्ड आवंटित करने की विषय शासन स्तर पर विचाराधीन है। इस बारे में शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है। अतः यह निर्णय लिया गया कि शासन से सहकारी आवास समितियों को भूमि/ भूखण्ड आवंटित करने के बारे में आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही इस परिषद के समक्ष विचार हेतु रखा जाये।
32-	परिषद की गाजियाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 गाजियाबाद में समायोजित भूमि के भूस्वामी सर्वश्री दयानन्द पृथ्वीराज, रीजपाल, [illegible]आनन्द व [illegible]मोहन आदि की भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(32)/89	इसे स्थगित किया गया। परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में भी विचार उसी समय किया जाये जब गाजियाबाद में सहकारी आवास समितियों के बारे में विचार किया जाये।

33- आवास परिषद की गाजियाबाद योजना सं0-5 गाजियाबाद में समाविष्ट फ्रेन्ड्स सहकारी आवास समिति लि0, गाजियाबाद की भूमि के सम्बन्ध में।	पंचम/(33)/89	विचार विमर्श के दौरान संयुक्त सचिव, आवास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि सहकारी आवास समितियों को भू/भूमि भूखण्ड आवंटित करने का विषय शासन स्तर पर विचाराधीन है। इस बारे में शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है। अतः यह निर्णय लिया गया कि शासन से सहकारी आवास समितियों को भूमि/भूखण्ड आवंटित करने के बारे में आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही इसे परिषद के समक्ष विचार हेतु रखा जाये।
आवास विकास परिषद की गाजियाबाद योजना सं0-5 गाजियाबाद में समाविष्ट अशोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 की भूमि के सम्बन्ध में।	पंचम/(34)/89	-तदैव-
राजेन्द्रपुरम भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजीपुर में श्री अब्दुल रज्जाक की भूमि खसरा सं0-154 में से शासनादेश के अन्तर्गत कब्रों एवं मजारों की भूमि 1.10 एकड़ को योजना में समायोजित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(35)/89	विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व संयुक्त निरीक्षण करना आवश्यक है ताकि पूरी स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त ही उचित निर्णय लिया जा सके इसलिये यह निर्णय लिया गया कि मा0 अध्यक्ष तथा परिषद के सदस्य श्री रती राम भाटी और श्री महेन्द्र सिंह द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाये तथा उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिषद में इस बारे में विचार किया जायेगा।
श्री हण्डा राम, मेरठ की भूमि विषयक।	पंचम/(36)/89	---तदैव-
सहारनपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 देहरादून के सम्बन्ध में।	पंचम/(37)/89	विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि शासन से इस सम्बन्ध में जो पत्र प्राप्त हुआ है उसकी प्रतियां शासन को भेजते हुये इस बिन्दु पर शासन से पुनः पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया जाये। साथ ही शासन से यह भी अनुरोध किया जाये कि देहरादून नगर की राजपुर रोड योजना के विस्तार हेतु भी स्वीकृति दी जाये क्योंकि वहां पर परिषद की वर्तमान योजना में आवश्यक सेवाओं की पहले से ही उपलब्धता है और देहरादून नगर में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या भी काफी अधिक है।
[illegible, cut off]पुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बलिया में खसरा सं0-56-57, 58 श्री जगन्नाथ के पक्ष में [illegible]मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(38)/89	विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व संयुक्त निरीक्षण करना आवश्यक है ताकि पूरी स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त ही उचित निर्णय लिया जा सके इसलिये यह निर्णय लिया गया कि मा0 अध्यक्ष तथा परिषद के सदस्य श्री रती राम भाटी और श्री महेन्द्र सिंह द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाये तथा उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिषद में इस बारे में विचार किया जायेगा।

1	2	3	4
39-	बुलन्दशहर योजना सं0-1 में सेनाविहार जनार कोल्ड स्टोरेज एवं आईस फैक्ट्री रिट सं0-6051/1983 के अतिरिक्त रिट सं0-6696/1985 के सम्बन्ध में।	पंचम/(39)/89	विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि न्यायालय में चल रहे विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से तथा परिषद को अपनी आवासीय योजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि बुलन्दशहर में सर्वश्री प्रभु दयाल लोधी एवं हरिचरन सिंह की भूमि क्षेत्रफल क्रमशः 2.2185 एकड़ एवं 1.69 एकड़ भूमि विकास शुल्क लेकर योजना में समायोजित कर ली जाये भूमि को समायोजित करने के लिये निम्नलिखित शर्तों का भी पालन सम्बन्धित व्यक्ति करेंगे:- 1- सम्बन्धित व्यक्ति न्यायालय से अपना वाद वापस लेंगे। 2- इस भूमि पर सम्बन्धित व्यक्ति को कोई मुआवजा देय नहीं होगा तथा विकास शुल्क देना होगा। 3- इस भूमि का उपरोक्त व्यक्ति व्यवसायिक उपयोग नहीं करेंगे।
40-	आवास विकास परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 में स्थित श्री पी0एस0लाल श्रीवास्तव की भूमि खसरा सं0-509 ग्राम औंजरी के सम्बन्ध में।	पंचम/(40)/89	आवास परिषद द्वारा सम्बन्धित भूमि के संबंध में न्यायालय में चल रहे वाद को समाप्त करने के लिये तथा परिषद के लिये सड़क के लिये भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काफी विचार विमर्श करने के उपरान्त सर्वसम्मति से टिप्पणी में दिये गये सुझाव का अनुमोदन किया गया। श्री श्रीवास्तव की जो भूमि योजना में समायोजित की जायेगी उसका उन्हें नियमानुसार विकास शुल्क देना होगा। श्री श्रीवास्तव अपनी रिट याचिका वापस लेंगे तथा भूमि उन्हें समायोजित करके छोड़ी जायेगी। इसका उन्हें प्रतिकर देय नहीं होगा जो भूमि श्री श्रीवास्तव से परिषद को उपलब्ध होगी उसका उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा।
41-	आवास एवं विकास परिषद की इन्दिरानगर द्वितीय विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना फैजाबाद मार्ग, लखनऊ में स्थित ग्राम कमता के खसरा सं0-263 को अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(41)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।

[illegible] से अर्जन प्रकरण महावीर सिल्क मिल [illegible]		[illegible] बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व [illegible] परिषद में इस बारे में विचार किया जायेगा।
43- महादेव झारखण्डी योजना गोरखपुर में स्थित खसरा स0-897। क्षेत्रफल 0.03 एकड़ भूमि में स्थित पक्का मकान श्रीमती रामरती पत्नी श्री भगौती महादेव झारखण्डी योजना गोरखपुर को अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/§43§/89	विस्तारपूर्वक विचार विमर्श के उपरान्त विवादग्रस्त भूमि को योजना में समायोजित करके उसे अर्जनमुक्त करने का निर्णय इस शर्त से लिया गया कि प्रार्थी को अर्ज की दर पर विकास शुल्क देना होगा क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा [illegible] निर्माण किया गया था।
[illegible] बाद को आवंटित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/§44§/89	विचार-विमर्श के उपरान्त [illegible] विचाराधीन है। इस बारे में शीघ्र निर्णय लिये जाने की संभावना है। अतः यह निर्णय लिया गया कि शासन से सहकारी आवास समितियों को भूमि / भूखण्ड आवंटित करने के बारे में आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही इसे परिषद के समक्ष विचार हेतु रखा जाये।
45- परिषद के अधिकारियों/ कर्मचारियों को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/§45§/89	विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इसे शीघ्र शासन की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाये।
46- वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के ले-आउट की तैयारी।	पंचम/§46§/89	विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
47- जनपद मुजफ्फरनगर के मखड ग्राम के किसानों को आवासीय में दी गई भूमि विकफायक विधान सभा आश्वासन स0-301/86	पंचम/§47§/89	विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि मुजफ्फरनगर की अन्य सभी योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के साथ इस प्रकरण को पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। यह भी इंगित किया कि पहले इसमें अधिक किसान रहे होंगे जिनकी अब कम संख्या कम हो गयी होगी अतः यह भी देख लिया जाये कि विधान सभा आश्वासन के परिपेक्ष्य में 41.8 एकड़ के अन्तर्गत अब तक कितने

1	2	3	4
			काश्तकार कब्जा रहे और बाकी भूमि को लेने के लिये भी प्रयास किया जाये
49-	रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 रामपुर के सम्बन्ध में।	पंचम/(48)/89	माननीय अध्यक्ष द्वारा परिषद के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर परिषद द्वारा विचार किया जायेगा।
49-	नगर-नियन्त्रण मैनुअल पार्ट-।। के सम्बन्ध में।	पंचम/(49)/89	विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि भूमि नियन्त्रण मैनुअल पार्ट-।। का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने हेतु एक उपसमिति गठित कर दी जाये जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे। 1- श्री खान गुफरान जाहिदी, अध्यक्ष 2- श्री नागिन्दर सिंह, आवास आयुक्त 3- श्री हरमिन्दर राज सिंह, विशेष सचिव वित्त विभाग 4- श्री हरी राम भाटी, परिषद सदस्य। 5- श्री महेन्द्र सिंह, परिषद सदस्य। यह उप समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर परिषद में इस बारे में विचार किया जायेगा।
50-	परिषद की पथानपुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 सहारनपुर में समाविष्ट ग्राम सुल्तानपुर की भूमि अर्जन मुक्त करने के सम्बंध में।	पंचम/(50)/89	टिप्पणी में दर्शाई गई सभी बातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विवादग्रस्त भूमि में मस्जिद तथा फलों के पेड़ होने के कारण यह उचित होगा कि खसरा नं0-276, 278 तथा 282/2 जिसका क्षेत्रफल 5.94 एकड़ है जिस भूमि पर मस्जिद तथा फलों के पेड़ आदि हैं उसे योजना से मुक्त करने हेतु शासन को संस्तुति भेजी जाये जिसमें इस बात का उल्लेख कर दिया जाये कि परिषद द्वारा यह निर्णय जन-प्रतिनिधियों द्वारा की गई संस्तुतियों तथा विवादग्रस्त भूमि में मस्जिद आदि के कारण वहाँ पर शान्ति व्यवस्था तथा लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुये यह संस्तुति की गई है। शासन को भेजे गये पहले प्रस्ताव में मस्जिद तथा फलों के पेड़ों की भूमि को छोड़ने के उपरान्त योजना की भूमि के कुल क्षेत्र में संशोधन करना आवश्यक होगा।
51-	परिषद की मझोला योजना सं0-4 (भाग-1) मुरादाबाद के भूतल र उच्चतम बाढ़ स्तर के परिपेक्ष्य में निर्धारित करने के सम्बन्ध में गठित जाँच समिति की आख्या पर टिप्पणी।	पंचम/(51)/89	निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये तथा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी की जाये।

52– [illegible] योजना आगरा में [illegible] द्वितीय हुडको परियोजना के अन्तर्गत निर्मित 2024 भवनों में व्याप्त अवस्थाओं के सम्बन्ध में।	पंचम/(52)/89	परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणी का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया तथा परिषद हित में यह उचित समझा गया कि जो भवनों की मरम्मत आदि की जानी है वह शीघ्रातिशीघ्र करा दी जाये ताकि परिषद की सम्पत्ति को बिना और देरी के आवंटित करके धनराशि वसूल की जा सके। भवनों की मरम्मत पर प्रस्तावित की गई धनराशि व्यय करने का अनुमोदन किया गया। इस बारे में जो जाँच हो रही है उसके बारे में जैसा कि टिप्पणी में कहा गया है। तकनीकी दृष्टि से भवनों को कहाँ तक हानि है के बारे में विशेषज्ञों की और राय लेना आवश्यक प्रतीत होता है जिसके लिये यह निर्णय लिया गया कि मा० अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर दें उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिषद में इस बारे में पुनः विचार किया जायेगा।
53– [illegible] योजना [illegible] में भूखण्ड एफ–11 एवं एफ–12 पर हुये अनाधिकृत निर्माण के संबंध में।	पंचम/(53)/89	विचार-विमर्श में यह पाया कि संकल्प को देखने से पता लगता है कि योजना में 2 प्लाटों पर अनाधिकृत निर्माण वर्षों तक चलता रहा और कम्पाउंडिंग के सम्बन्ध में जो मामला मुख्यालय को संदर्भित हुआ तब उक्त अनाधिकृत निर्माण की जानकारी हुई। स्थानीय रूप से कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा इस अनाधिकृत निर्माण की सूचना पहले मुख्यालय को नहीं अतः इस मामले की गम्भीरता को देखते हुये कर्तव्यों की अवहेलना के लिये सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र विभागीय कानूनी कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय हुआ कि कम्पाउंडिंग के सम्बन्ध में निर्णय हेतु मामला अगली बैठक हेतु स्थगित किया जाता है। यह भी देखा जाये कि बिना परिषद के अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्धित व्यक्तियों की पिक अप द्वारा धनराशि कैसे स्वीकृत की गयी। इसके संबंध में तत्काल पिक-अप को लिखा जाये।
54– आवास परिषद के अधीक्षण अभियन्ता को रु0 2050–2500 का वेतनमान प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(54)/89	परिषद द्वारा विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करने के उपरान्त टिप्पणी में दिये गये सुझाव का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में शीघ्र शासन से निर्णय हेतु अनुरोध किया जाये।
55– समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(55)/89	– तदैव –

1	2	3	4
56-	आवास परिषद के परिकल्प शोध एवं विकास अनुसंधान नियोजन प्रशिक्षण गुण नियंत्रण एवं परिषद मुख्यालय पर विभिन्न तकनीकी कार्यों आदि पर तैनात अभियन्त्रण कर्मियों को अतिरिक्त सुविधा दिया जाना।	पंचम/(56)/89	-पारित-
57-	परिषद द्वारा अधिग्रहीत की जा रही योजनाओं में भूमि विस्थापितों के उनके परिवार के आश्रित को उसकी योग्यतानुसार नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(57)/89	संयुक्त सचिव आवास ने अवगत कराया कि प्रकरण शासन के विचाराधीन है अतः तदनुसार शासन के निर्णय तक मामला स्थगित किया गया।
58-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	पंचम/(58)/89	अनाधिकृत निर्माण कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस विभाग से अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाने हुए एक टास्क फोर्स के गठन हेतु परिषद में टिप्पणी प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। 2- टाउनशिप निगोशियेशन द्वारा भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में समिति के गठन के सम्बन्ध में एक टिप्पणी अगली बैठक में परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत की जाय। 3- गाजियाबाद में परिषद योजनाओं के समीप होर्डिंग्स लगाये जाने का भी निर्णय लिया गया।

पुष्टि की गयी

25/3/90

अध्यक्ष